Sale of defence vehicles to civilians

*659. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total number of defence vehicles sold to civilians during the last three years;

(b) what is their total value;

(c) what is the criteria on which the defence vehicles are discarded from defence use and made available for sale to civilians?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b)

Year	Number of vehicles sold	Amount realised (Rs. in Crores)
1991	8618	25.89
1992	9837	33.59
1993	12905	44.33

Since these vehicles have been disposed of from a large number of depots/points, the book value totals of all these vehicles have not been compiled.

(c) A defence vehicle becomes due for discard either if it has run the prescribed kilometrage for that category of vehicles or has been in use for the prescribed number of years, whichever is later, or has met with a accident and has been declared as being 'Beyond Economical Repair'.

लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् द्वारा गुजरात को वित्तीय सहायता दिया जाना

*660. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कापार्ट (लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद्) के माध्यम से किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी किन-किन संस्थाओं के कार्यकरण की यह देखने के लिए समीक्षा की गई है कि धन का समुचित ढंग से उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ; और

(ग) किन-किन संस्थाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) गुजरात में लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, सहायता किए गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या, स्वीकृत राशि तथा रिलीज की गई राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (**नीचे देखिए**) ।

कापार्ट (लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद), स्वयंसेवी संगठनों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करता है ताकि परियोजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके । परिषद ने निगरानी-कर्त्ताओं के रूप में अनेक अनुभवी लोगों का पैनल बनाया है । परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने के पश्चात् निधियां उपर्युक्त

किस्तों में रिलीज की जाती हैं। पहली किस्त के रिलीज होने के पश्चात् स्वयंसेवी एजंसी को उचित अवधि के भीतर निर्धारित प्रोफोर्म में प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। सामान्यतया इस स्तर पर सभी परियोजनाओं की निगरानी रखी जाती है। मोनिटर की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् यदि परियोजना के कार्यान्वयन में कुछ विविधताएं पाई जाती हैं तो स्वयंसेवी एजेंसी को इस संबंध में अनुकूल सलाह दी जाती है। मार्गदर्शिकाओं के अनुसार परियोजनाओं के कड़ाई से कार्यान्वयन किए जाने के संबंध में स्वयंसेवी एजेंसी से आश्वासन प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। इस प्रकार स्वयंसेवी एजेंसी की सम्पूर्ण निधियां रिलीज की जाती हैं। परियोजना के पूरा हो जाने के उपरांत एजेंसी अंतिम प्रगति रिपोर्ट, लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण तथा उपयोगिकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है।

गुजरात में का पार्ट द्वारा सहायता की गई किसी स्वयंसेवी एजेंसी के विरुद्ध अदालत में कोई मामला दायर नहीं किया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	शामिल एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि	रिलीज की गई राशि
1986 तक . . .	28	7	0.34	0.23
1986–87 . . .	18	18	0.30	0.46
1987–88 . . .	35	28	0.71	0.40
1988–89 . . .	28	23	2.63	2.76
1989–90 . . .	32	20	1.90	1.03
1990–91 . . .	26	18	0.91	1.73
1991–92 . . .	68	20	2.58	1.99
1992–93 . . .	56	25	2.21	2.70
1993–94 . .	33	15	2.90	2.23 (31–1–94 तक)
योग :	324	174	14.48	13.43

Letters received in Prime Minister's Office

6855. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a large number of letters have been received in Prime Minister's Office from M.Ps. during 1993;

(b) if so, the details of such letters received in each month of 1993;

(c) whether large number of such letters have been forwarded to other Ministeries as those related to those offices;

(d) if so, the details thereof, Ministry-wise and Office-wise;